संख्या- 53/2026/001-923-81-4-2026

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-60-वन एवं वन्य जीव विभाग के वचनबद्ध के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ब:467/21-5(1)/2026-27, दिनांक 08-05-2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/ 2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-60-2406-01-001-06-00-ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मानकमदों में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि **रू0 650.00 लाख (छ: करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल एवं प्रचलित नवीनतम वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। व्यय करते समय मितव्यवता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(2) योजनान्तार्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।
(3) योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।
(5) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 08-05-2026 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
(6) इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वगयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा ।
(8) योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई- टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किया जाय।
(9) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष समस्त औपचारिकताऐं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन एवं बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगें।
(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्यमद में किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की होगी। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
(11) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्याक्ष, उ0प्र0 यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(12) विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग में ई-पत्रावली सिस्टम एवं डिजीटाइजेशन की अद्यतन प्रगति संबंधी आख्या शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में मूल बजट एवं अनुपूरक बजट अर्थात कुल धनराशि रू० 850.00 लाख के सापेक्ष भौतिक प्रगति विवरण एवं किन-किन मण्डलीय/क्षेत्रीय कार्योलयों/प्रभागों में कम्प्यूटर हार्ड वेयर/ साफ्टवेयर का क्रय किया गया है, का विवरण सूचीबद्ध करते हुए शासन को उपलब्ध करायेंगे।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निहित दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 060 **लेखा शीर्षक** 2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना **मानक मद** 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय (*2*) रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 060 **लेखा शीर्षक** 2406010010600 ई-गवर्नेन्स योजना **मानक मद** 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 53(1) /2026/001-923-81-4-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1 विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
6- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई०टी०, उ०प्र०, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाईल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
दिलीप कुमार शुक्ल
संयुक्त सचिव।

http://shasanades.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।